

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-14

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

विद्युत अधिनियम में संशोधन

***14. श्री एम. शनमुगम:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया था और टिप्पणियों के लिए संशोधन प्रस्ताव भेजा था, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इसमें विनियामक आयोगों को नियुक्त करने और ग्राहकों को राजसहायता प्रदान करने की शक्तियां सरकार के हाथों में देने का प्रस्ताव किया गया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को प्रस्ताव के संबंध में कोई विरोध प्राप्त हुआ है, और यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और
- (घ) क्या निजी पक्षों को बिजली वितरण का कार्य सौंपे जाने की स्थिति में किसानों और आम उपभोक्ताओं को राजसहायता प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"विद्युत अधिनियम में संशोधन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 02.02.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 14 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : प्रारूप विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 17.04.2020 को परिचालित किया गया था।

(ख) : जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। विनियामक आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित सरकारों अर्थात् केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मामले में केंद्रीय सरकार और राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) के मामले में राज्य सरकार द्वारा की जानी जारी रहेगी। सब्सिडी के संबंध में, राज्य सरकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार उस सीमा तक, जितना वे उपयुक्त समझें, किसी भी उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं की श्रेणी को सब्सिडी दे सकती है।

(ग) : सरकार को 350 से अधिक हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए हैं और तदनुसार प्रारूप विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 में, यदि आवश्यक हो और जहां कहीं भी आवश्यक हो, उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे।

(घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार, उस सीमा तक जितना वे उपयुक्त समझें, किसी भी उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं की श्रेणी को सब्सिडी दे सकती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-128

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

डिस्कॉम और ट्रांसकोस

128. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विभिन्न डिस्कॉम और ट्रांसकोस द्वारा लगाए गए विलंबित अधिभार भुगतान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण राज्य डिस्कॉम और ट्रांसकोस को 12 प्रतिशत से अधिक विलंबित अधिभार भुगतान नहीं लगाने का निर्देश दिया है;
- (ग) यदि हाँ, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त निर्देश का पालन किया है और उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने निर्देश का अनुपालन नहीं किया है; और
- (घ) सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले डिस्कॉम और ट्रांसकोस के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत खरीद के लिए उत्पादन कंपनियों को और विद्युत के पारेषण के लिए पारेषण लाइसेंसधारियों को देरी से भुगतान करने के मामले में विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) लागू हो जाता है। इस प्रकार, विलंबित भुगतान अधिभार डिस्कॉमों द्वारा प्रभारित नहीं किये जाते हैं, इसके बजाय उनके विलंबित भुगतान के मामले में विलंबित भुगतान अधिभार का भुगतान करना होगा।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप विद्युत वितरण कंपनियों की लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 28.3.2020 को विद्युत अधिनियम की धारा 107 के तहत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) को विलंबित भुगतान अधिभार की कम दर निर्दिष्ट करने के निर्देश जारी किए गए थे। मंत्रालय के निर्देशों पर, सीईआरसी ने 24 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए टैरिफ विनियमों के तहत लागू 1% प्रति माह तक एलपीएस की कम दर के संबंध में 3.4.2020 को आदेश जारी किए थे। सभी राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत निर्देश जारी करें और वितरण कंपनियां कम एलपीएस के संबंध में उपभोक्ताओं को समान या अधिक लाभ प्रदान करें।

डिस्कॉमों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए, उत्पादन कंपनियों और पारेषण कंपनियों को केंद्र सरकार द्वारा 20.08.2020 के पत्र द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पीएफसी और आरईसी की लिक्विडिटी निषेचन स्कीम के तहत किए गए सभी भुगतानों के लिए प्रति माह अधिकतम 1% की दर पर एलपीएस लेने की सलाह दी गई थी। आरईसी और पीएफसी द्वारा संवितरण, जेनकोस और ट्रांसकोस को आरईसी और पीएफसी द्वारा सीधे किया जाता है यदि बिल उपरोक्त एडवाइजरी के अनुसार होते हैं। आरईसी और पीएफसी द्वारा संस्वीकृत और संवितरित राज्य-वार राशि (जिसमें एलपीएस भी शामिल है) का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 02.02.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

**लिक्विडिटी पैकेज के तहत संस्वीकृत और संवितरित ऋणों का विवरण
(27.01.2021 की स्थिति के अनुसार)**

राशि करोड़ में

क्रम संख्या	राज्य	डिस्कॉम	संस्वीकृत ऋण			संवितरण		
			आरईसी	पीएफसी	कुल	आरईसी	पीएफसी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	एपीएसपीडीसीएल एवं एपीईपीडीसीएल	3,300	3,300	6,600	1,650	1,650	3,300
2	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल टीएसएसपीडीसीएल	6,326	6,326	12,652	3,137	3,150	6,287
3	पंजाब	पीएसपीसीएल	2,000	2,000	4,000	500	500	1,000
4	उत्तर प्रदेश	यूपीपीसीएल	10,470	10,470	20,940	5,235	5,235	10,470
5	राजस्थान	एवीवीएनएल जेवीवीएनएल जेडीवीवीएनएल	2,032	2,032	4,063	1,016	1,016	2,032
6	पश्चिम बंगाल	डबल्यूबीएसईडीसीएल	510	510	1,021	227	227	454
7	मणिपुर	एमएसपीडीसीएल	56	56	111	28	28	56
8	कर्नाटक	जीईएससीओएम एचईएससीओएम सीईएससी बीईएससीओएम	3,623	3,623	7,247			
9	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेपीडीसी	2,290	2,290	4,580	1,145	1,145	2,290
10	पुदुचेरी	ऊर्जा विभाग	150	-	150			
11	मेघालय	एमईईपीडीसीएल	673	673	1,345	193	193	387
उप-जोड़ क			31,430	31,280	62,709	13,131	13,144	26,275
उदय सीमा के तहत								
1	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	2,500	2,500	5,000	2,500		2,500
2	उत्तराखंड	यूपीसीएल	400	400	800	400	200	600
3	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेपीडीसी	500	500	1,000	500	500	1,000
उप-जोड़ ख			3,400	3,400	6,800	3,400	700	4,100
उदय सीमा छूट के तहत								
1	बिहार	एनबीपीडीसीएल एवं एसबीपीडीसीएल	1,753	1,750	3,503	875	872	1,747
2	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ	17,830	12,400	30,230	6,729	4,362	11,091
3	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेपीसीएल	-	5,444	5,444		2,722	2,722
4	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबीएल	138	138	276	69	69	138
5	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	4,655	4,655	9,310			
6	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	235		235			
7	उत्तर प्रदेश	यूपीपीसीएल	6,492		6,492			
उप-जोड़ ग			31,103	24,387	55,490	7,673	8,025	15,698
कुल- क+ख+ग			65,932	59,067	1,24,999	24,204	21,870	46,074

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-129

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

महाराष्ट्र में बिजली के कनेक्शन

129. डॉ. भागवत कराड़ः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में उन गांवों और घरों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें बिजली का कनेक्शन दिया गया है/दिया जाना शेष है; और

(ख) इन गांवों में उन घरों की औसतन संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्हें बिजली का कनेक्शन प्रदान किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

: (क) जैसाकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित किया गया है, महाराष्ट्र में कुल 41,गांव हैं 928, जिनमें से 41, 618 305 गांवों को पारंपरिक स्रोतों द्वारा तथागांवों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युतीकृत किया गया है। इस प्रकार, कुल 41, गांव विद्युतीकृत हो गए हैं तथा अमरावती जिले के शेष पांच गांव का पुनर्वास किया गया है। 923 इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने यह सूचित किया है कि राज्य के सभी गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। जिला वार ब्यौरा- अनुबंध पर संलग्न हैं।

(ख): (जैसाकि महाराष्ट्र राज्य ने सूचित किया है, इन गांवों में औसतन 606 घरों को विद्युतीकृत किया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 02.02.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 129 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ग्राम विद्युतीकरण का जिला-वार सारांश

क्रम सं .	जिला का नाम	विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या
1.	अकोला	863
2.	बुलढाणा	1293
3	वाशिम	704
4	अमरावती	1991
5	यवतमाल	1862
6	चंद्रपुर	1651
7	गढ़चिरोली	1677
8	भण्डारा	821
9	गोंडिया	890
10	नागपुर	1601
11	वर्धा	1025
	विदर्भ	14378
12	औरंगाबाद	1336
13	जालना	967
14	बीड	1359
15	लातूर	932
16	ओसमानाबाद	725
17	हिंगोली	683
18	नांदेड	1420
19	परभानी	838
	मराठवाड़ा	8260
20	थाणे (पालघर सहित)	1746
21	रायगढ़	1886
22	रत्नागिरि	1547
23	सिंधुदुर्ग	750
24	धुले	679
25	जलगांव	1502
26	नांदुरबार	945
27	कोल्हापुर	1209
28	सांगली	728
29	नासिक	1933
30	अहमद नगर	1588
31	पुणे	1881
32	सतारा	1748
33	सोलापुर	1148
	शेष महाराष्ट्र	19290
	राज्य के कुल	41928

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-130

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

ई-आरएलएनजी योजना

130. श्री दिनेश त्रिवेदी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 24,000 मेगावाट की फंसी हुई गैस आधारित आस्तियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के अनुसार ई-आरएलएनजी (ई-ऑक्शन ऑफ रिगैसीफाइड लिक्वीफाइड नैचुरल गैस) योजना का पुनरुद्धार करने की योजना रखती है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : देश में गैस आधारित क्षमता के उपयोग को पुनः प्रचालित करने और उसमें सुधार लाने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए ई-आरएलएनजी (पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस की ई-नीलामी) स्कीम को स्वीकृति दी थी। इस स्कीम में आयातित स्पॉट आरएलएनजी को बंद पड़े गैस आधारित संयंत्रों के साथ-साथ रिवर्स ई-बोली (बिडिंग) प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों को आपूर्ति करना परिकल्पित था। स्कीम ने राज्य सरकारों सहित सभी पणधारकों द्वारा सामूहिक रूप से दी गई छूट और रियायतों तथा विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता की भी परिकल्पना की गई थी। यह स्कीम दिनांक 31.03.2017 को समाप्त हो गई है।

गैस आधारित संयंत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए ई-आरएलएनजी स्कीम को पुनः प्रचालित करने के प्रस्ताव की जांच की गई थी। राज्य सरकारों के करों और उगाहियों से छूट और रियायतों से संबंधित राज्यों के विचार मांगे गए थे। राज्य सरकारों ने अपने विचार अभिव्यक्त किए कि गैस आधारित संयंत्रों को पुनः प्रचालित करने के लिए प्रस्तावित रियायतें/छूट वर्तमान परिदृश्य में व्यवहार्य/साध्य नहीं हैं और वे गैस स्कीम के परिवहन पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) माफ करने के पक्ष में नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष से गैस मूल्यों में कमी होने की प्रवृत्ति थी और वर्ष 2019-20 में गैस आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशनों का संयंत्र भार घटक 22.15 प्रतिशत था और अगस्त, 2020 तक कोविड के कारण मांग में कमी के बावजूद, गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का पीएलएफ 26.64 प्रतिशत तक बढ़ गया था। यह एलएनजी के कम मूल्य के कारण बिना किसी की सहायता के हुआ था। किसी भी प्रकार की छूट/रियायत देने में राज्यों की विमुखता को ध्यान में रखते हुए और बिना किसी सहायता के गैस आधारित विद्युत उत्पादन बढ़ने के कारण, यह निर्णय लिया गया था कि इस समय गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार की स्कीम बनाने की जरूरत नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-131

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का उनकी विशेषज्ञता से परे क्षेत्रों में विस्तार

131. श्री महेश पोद्दार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने हाइडल, थर्मल, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है और इन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के पास उनके संबंधित क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त कार्यक्षमता है; और
- (ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है कि वे अपनी विशेषज्ञता के अलावा अन्य क्षेत्रों में अपने संसाधनों का उपयोग या विस्तार कर सकते हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (पीएसयूज) के पास विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के प्रचालन एवं रखरखाव सहित उनकी आयोजना एवं निष्पादन के लिए अपेक्षित पर्याप्त आंतरिक अनुभव और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है; और अपने संबंधित क्षेत्रों में अभिवृद्धि के लिए पर्याप्त क्षमता रखते हैं। तथापि, सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विस्तार कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य कर रहे पीएसयूज सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अपने प्रचालनों में विविधता रखते हैं। इसके साथ-साथ, ये पीएसयूज स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विद्यमान बाजार परिस्थितियों के साथ-साथ ऊर्जा पारेषण प्रक्रियाओं के अनुसार अपने प्रचालन को विकसित एवं संरक्षण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, तकनीकी जानकारी, उनके संबंधित क्षेत्रों में दक्षता एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए, ये पीएसयूज परामर्श सेवाओं की व्यापक रेंज भी प्रदान कर रहे हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-132

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

विद्युत संशोधन विधेयक, 2020 का कार्यान्वयन

132. डॉ. अमी याज्ञिक:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय बोझ को समाप्त करने के लिए सरकार किसानों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान करने का इरादा रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में विद्युत लागत और सिंचाई लागत के संदर्भ में विधेयक के वित्तीय निहितार्थों की गणना की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार, राज्य सरकारें राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसानों सहित, किसी भी उपभोक्ता को अथवा उपभोक्ताओं की श्रेणी को किसी भी प्रकार की सब्सिडी दे सकती हैं। इस संबंध में मौजूदा प्रावधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा जिन्हें मौजूदा कानून के अनुसार अग्रिम सब्सिडी देने का अधिदेश प्राप्त है, सब्सिडी के भुगतान के तरीके में परिवर्तन का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार, किसानों को विद्युत लागतों अथवा सिंचाई लागतों के मामलों में किसी अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-133

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

मुंबई में पूरी तरह से बिजली चले जाने से अंधकार छा जाना

133. श्री संजय राउत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अक्टूबर, 2020 में ग्रिड की खराबी के कारण मुंबई के कई भागों और उपनगरों में पूरी तरह से बिजली चली गई जिससे रेल सेवाएं बाधित हुईं और कई मिलियन स्थानिकों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी केंद्रीय दल ने समस्या का पता लगाने और ऐसी बिजली कटौती का यथासंभव समाधान खोजने के लिए मुंबई का दौरा किया है; और

(घ) देश में अचानक से ऐसे बिजली चली जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : दिनांक 12.10.2020 को 10:02 बजे, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) की विद्युत प्रणाली राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से अलग-थलग हो गई। इसके अतिरिक्त, दहानू उत्पादन (ईईएमएल का) के अलावा, कुल आंतरिक उत्पादन बंद हो गया जिसके परिणामस्वरूप एमएमआर के प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् मुंबई एवं उप-नगरों, थाणे, नवी मुंबई में ब्लैक आउट हो गया।

आपूर्ति पुनः बहाल करने के दौरान, आपातकालीन भारों अर्थात् रेलवे, अस्पतालों आदि को वरीयता दी गई। रेलवे को आपूर्ति 12.10.2020 को 11:52 बजे पुनः बहाल कर दी गई थी। एमएमआर में विद्युत आपूर्ति उत्पादन

की उपलब्धता और 400 केवी नेटवर्क के लोड पर निर्भर रहते हुए 13.10.2020 को 01:00 बजे तक चरणबद्ध तरीके से पूर्ण रूप से पुनः बहाल कर दी गई थी।

(ग) और (घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा गठित एक समिति ने 13 एवं 14 अक्टूबर, 2020 को मुंबई का दौरा किया। समिति की सिफारिशों में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

- महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्र (एमएसएलडीसी) अवसंरचना एवं इसके प्रचालन में सुधार।
- मुंबई आइलैंडिंग स्कीम में सुधार
- उचित विद्युत प्रणाली सुनिश्चित करना
- भविष्य में कोई विद्युत खराबी न होना सुनिश्चित करने के लिए पारेषण एवं उत्पादन की ठोस आयोजना
- उरान आइलैंडिंग स्कीम को अतिशीघ्र सेवा योग्य बनाया जाना चाहिए।
- भीरा पम्पड भंडारण संयंत्र का प्रचालन और सभी सब-स्टेशनों पर आवधिक निवारक रख-रखाव।
- ब्लैक आउट के दौरान एसएलडीसी/आरएलडीसी में निर्बाध आंकड़ों और भाषायी संप्रेषण बनाए रखने के लिए संचार प्रणालियाँ हेतु विश्वसनीय बैकअप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।

इसके अतिरिक्त, देश में सभी आइलैंडिंग स्कीमों की समीक्षा माननीय विद्युत राज्यमंत्री स्तर पर की गई थी और सीईए को विद्युत ग्रिड सुदृढ़ बनाए रखने और किसी भी विद्युत खराबी के समय, न्यूनतम संभावित समय के भीतर विद्युत आपूर्ति की पुनः बहाली सुनिश्चित करने के लिए, सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-134

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

घरेलू क्षेत्र में बिजली की बर्बादी

134. श्री मानस रंजन भूनिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लीकेज, खराब उपकरणों और ऊर्जा अक्षमता वाले विद्युत उपकरणों आदि के उपयोग के कारण घरेलू क्षेत्र में बिजली की बड़ी मात्रा में बर्बादी हो रही है और, यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में बर्बाद हुई ऊर्जा का वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) बचत और विद्युत संरक्षण सहित डिमांड साइड मैनेजमेंट (डीएसएम) के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के साथ विगत तीन वर्षों के दौरान घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में खपत की गई बिजली का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने ऊर्जा बचत करने वाले और लीकेज/चोरी कम को करने वाले राज्यों के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करने की किसी योजना की शुरुआत की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत प्रणालियों में लीकेज और खराब या ऊर्जा अदक्ष उपकरणों/उपस्करों के उपयोग के कारण विद्युत की कुछ मात्रा बर्बाद हो जाती है। ऐसा घरेलू क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में होता है। उपर्युक्त उल्लिखित कारणों से, घरेलू क्षेत्र में बर्बाद हुई ऊर्जा के आँकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ख) : वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में खपत की गई विद्युत का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	घरेलू क्षेत्र (जीडबल्यूएच)	औद्योगिक क्षेत्र (जीडबल्यूएच)
2016-17	255826.01	440205.52
2017-18	273545.02	468613.30
2018-19	288243.11	519196.29

(स्रोत: सीईए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन, घरेलू और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबंधन के लिए ऊर्जा दक्षता संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:

- उपकरणों और उपस्करों की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से, बीईई मानक और लेबलिंग (एसएंडएल) कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत विभिन्न उपकरणों और उपस्करों के लिए ऊर्जा निष्पादन मानकों को निर्दिष्ट किया गया है। वर्तमान में, इस कार्यक्रम के तहत 28 उपकरणों को शामिल किया गया है, जिनमें से 10 अनिवार्य व्यवस्था के तहत हैं और 18 स्वैच्छिक व्यवस्था के तहत हैं। एसएंडएल कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से वित्त वर्ष 2018-19 में 55 बिलियन यूनिट विद्युत की बचत हुई है।
- विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) को कम करने के उद्देश्य से, ऊर्जा गहन औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार, 1073 उद्योगों/यूनिटों के कवरेज के साथ 13 ऊर्जा गहन क्षेत्रों में पीएटी स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, पीएटी के कार्यान्वयन के कारण, 12 मिलियन टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) ऊर्जा बचत हुई है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) का एक संयुक्त उद्यम, एनर्जी इफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता है। इस कार्यक्रम में दो घटक हैं नामतः (i) पारंपरिक बल्बों के प्रतिस्थापन के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करने हेतु सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) और (ii) ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी)। अब तक, ईईएसएल ने देश भर में उजाला के तहत 36.69 करोड़ एलईडी बल्ब, 72.08 लाख एलईडी ट्यूबलाइटें और 23.40 लाख ऊर्जा दक्ष पंखों का वितरण किया है और एसएलएनपी के तहत 1.12 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 55.70 बिलियन केडब्ल्यूएच अनुमानित ऊर्जा की बचत हुई है जिससे 11,000 मेगावाट की व्यस्ततम मांग से भी बचा जा सका है, अनुमानित जीएचजी उत्सर्जन में प्रति वर्ष 44 मिलियन टन कार्बनडाईऑक्साइड की कमी हुई है और प्रति वर्ष 24,500 करोड़ रूपए की मौद्रिक बचत हुई है।

(ग) : ऊर्जा की बचत और लीकेज/चोरी को कम करने के लिए राज्यों को नकद प्रोत्साहन देने की कोई विशेष योजना नहीं है। यद्यपि, भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय और परिचालन टर्नअराउंड के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारंभ की है। इस योजना में परिकल्पना की गई है कि डिस्कॉम्स विद्युत चोरी को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाएंगे। राज्य सरकारों को एटीएंडसी हानियां, आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व वसूली (एसीएस-एआरआर) अंतर, विद्युत चोरी को कम करने और विद्युत चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समर्पित पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने के लिए समय-समय पर सलाह दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-135

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

डिस्कॉम की बकाया राशि

135. श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि विगत कुछ वर्षों में वितरण कंपनियों या डिस्कॉम द्वारा विद्युत उत्पादकों को देय कुल बकाया राशि कई गुना बढ़ गई है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विद्युत वितरण कंपनियों से बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

: (ख) और (क) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित (पीएफसी) "राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के निष्पादन पर रिपोर्ट" के अनुसार, वर्ष 2016-2 से 17018-के लिए विद्युत वितरण यूटिलिटीयों हेतु विद्युत 19 : तथा ईंधन की खरीद के लिए बकाया राशियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं

	31.03.2017 की स्थिति	31.03.2018 की स्थिति	31.03.2019 की स्थिति
विद्युत की खरीद के लिए देय राशियां (रुपए करोड़ में)	176,485	172,096	227,018
बकाया राशियों में % वृद्धि	-	-2.48%	31.91%

: (ग) विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वहन की जानी वाली विद्युत (डिस्कॉमों) बकाया राशियों का निपटान करने के मुद्दों को राज्यों के साथ बैठकों में विशेष रूप से उठाया है। राज्यों को बकाया देय राशियों की स्थिति और उनका निपटान करने के लिए प्राप्य राशियों की स्थिति सहित उनकी वितरण यूटिलिटीयों के निष्पादन का विशिष्ट रूप से उल्लेख करते हुए विभिन्न स्तरों पर पत्र भी लिखे गए हैं।

विद्युत क्षेत्र में लिक्विडिटी समस्याओं पर, जो कोविड-19 के प्रादुर्भाव के कारण बढ़ गई थी, काबू पाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने मई 13, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में लिक्विडिटी - निषेचन स्कीम की घोषणा की। इस हस्तक्षेप के अंतर्गत, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईस) और पावर (सीपीएसई जेनकोज एवं ट्रांसकोज (पीएफसी) फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईपीपीज एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की बकाया देय राशियों) 30.06.2020 की स्थिति के अनुसार का निषेचन करने के लिए डिस्कॉमों (को विशिष्ट दीर्घकालीन परिवर्ती ऋण प्रदान कर रहे हैं। अभी तक, 125 ,करोड़ 000 रुपये के ऋण पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 46 ,करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं। दीर्घकालीन परिवर्ती ऋणों के अंतर्गत संवितरण को 074 डिस्कॉमों द्वारा कतिपय सुधार उपाय करने जैसे कि प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की स्थापना के साथसाथ एटी एंड सी - हानियों, एसीएसएआरआर अंतर को रोकने और सब्सिडी एवं सरकारी देय- राशियों की वसूली के लिए ट्रैजेक्टरी निर्धारित करने से जोड़ा गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-136

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

भारत में विद्युत उत्पादन

136. श्री अनिल देसाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 और 2020 में देश में विद्युत उत्पादन की स्थिति क्या रही है;

(ख) क्या विद्युत की मांग और आपूर्ति संतोषजनक है; और

(ग) देश में विद्युत उत्पादन के विभिन्न स्रोत और उसकी खपत का प्रतिशत-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : वर्ष 2019-20 और 2020-21 (दिसंबर 2020 तक) के दौरान विद्युत उत्पादन क्रमशः 13,89,120 मिलियन यूनिट (एमयू) और 10,17,835 एमयू था।

विद्युत की मांग और आपूर्ति संतोषजनक है क्योंकि 30.01.2021 को अनुभव की गई लगभग 189.644 गीगावाट की अब तक की अधिकतम विद्युत मांग की तुलना में देश में विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 375 गीगावाट है।

स्रोत वार विद्युत उत्पादन और इसके प्रतिशत हिस्से का विवरण अनुबंध पर दिया गया है ।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 02.02.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 136 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 (दिसंबर तक) के लिए कुल उत्पादन से सभी स्रोतों का स्रोत-वार वास्तविक उत्पादन और प्रतिशत हिस्सा

स्रोत	श्रेणी/ईंधन	2020-21		2019-20	
		उत्पादन (एमयू में) (दिसंबर, 20 तक)	कुल जोड़ का प्रतिशत	उत्पादन (एमयू में)	कुल जोड़ का प्रतिशत
परंपरागत	थर्मल				
	कोयला	673651.73	66.18	961218.23	69.20
	लिग्नाइट	22356.34	2.20	32978.76	2.37
	प्राकृतिक गैस	40808.4	4.01	48442.64	3.49
	नापथा	0.66	0.00	0	
	डीजल	100.23	0.01	108.23	0.01
	हाई स्पीड डीजल	0	-	0	-
	थर्मल कुल	736917.36	72.40	1042747.86	75.07
	न्यूक्लियर	33948.53	3.34	46472.45	3.35
	न्यूक्लियर कुल	33948.53	3.34	46472.45	3.35
	हाइड्रो	126644.93	12.44	155769.12	11.21
	भूटान से आयात	8406.8	0.83	5794.48	0.42
	हाइड्रो कुल	135051.73	13.27	161563.6	11.63
कुल (परंपरागत स्रोत)	905917.62	89.00	1250783.91	90.04	
नवीकरणीय	पवन	50182.97	4.93	64646.37	4.65
	सौर	43346.79	4.26	50131.11	3.61
	बायोमास	2537.65	0.25	2937.96	0.21
	बायोगैस	5960.38	0.59	10804.46	0.78
	लघु जल विद्युत	8768.55	0.86	9451.22	0.68
	अन्य	1121.39	0.11	365.90	0.03
कुल (नवीकरणीय स्रोत)	111917.72	11.00	138337.02	9.96	
कुल जोड़ (पारंपरिक + नवीकरणीय)	1017835.34	100	1389120.93	100	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-137

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन

137. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्रमशः 30 जून, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 के अनुसार देश में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत की अधिकतम क्षमता कितनी है;
- (ख) विद्युत की मांग और आपूर्ति का अंतर कितना है और उक्त आपूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विद्युत उत्पादन के स्रोतों और संबंधित संभावित मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 तक कौन-कौन से कदम उठाए जाने हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : दिनांक 31.06.2020 और 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान देश में सभी स्रोतों से स्रोत-वार विद्युत उत्पादन और निगरानी क्षमता का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) : अप्रैल, 2020 से जून, 2020 और अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान, देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** पर दिया गया है। विद्यमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा से अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है और किसी भी क्षेत्र में कोई भी कमी स्थानीय राज्य विशिष्ट मुद्दों - वितरण प्रणाली में बाधाएं अथवा डिस्कॉमों द्वारा उनके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत की खरीद करने की असमर्थता के कारण होती है।

(ग) : देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- देश में वर्ष 2024-25 तक शुरू होने वाली पारंपरिक विद्युत उत्पादन क्षमता निर्माण के विभिन्न चरणों में है जिसमें थर्मल 36,765 मेगावाट, जलविद्युत 10,164.50 मेगावाट और परमाणु 4,800 मेगावाट शामिल हैं।
- भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के अंत तक नवीकरणीय स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा है जिसमें सौर से 1,00,000 मेगावाट, पवन से 60,000 मेगावाट, बायोमास से 10,000 मेगावाट और लघु जलविद्युत से 5,000 मेगावाट की क्षमता शामिल है।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 02.02.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 137 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

31 जून, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 को स्रोत-वार उत्पादन और निगरानी की गई क्षमता

श्रेणी	ईंधन	30 जून, 2020 की स्थिति के अनुसार		31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार	
		उत्पादन क्षमता (मेगावाट में)	उत्पादन (एमयू में)	उत्पादन क्षमता (मेगावाट में)	उत्पादन (एमयू में)
थर्मल	कोयला	198782.50	198928.93	199852.5	673651.73
	लिग्नाइट	6610.00	8718.61	6260	22356.34
	डीजल	509.71	32.76	509.709	100.23
	हाई स्पीड डीजल	255.00	0.00	255	0
	नापथा	701.58	0.00	701.58	0.66
	प्राकृतिक गैस	23980.43	15166.34	23945.43	40808.40
थर्मल कुल		230839.22	222846.64	231524.22	736917.36
न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	6780.00	11422.35	6780.00	33948.53
हाइड्रो	हाइड्रो	45699.22	41163.37	45798.22	126644.93
भूटान से आयात	हाइड्रो	0	2256.50	0	8406.8
कुल परंपरागत (थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो)		283318.44	277688.86	284102.44	905917.62
नवीकरणीय		87669.19	38322.36	91153.81	111917.72
कुल जोड़ (परंपरागत + नवीकरणीय)		370987.63	316011.22	375256.25	1017835.34

राज्य सभा में दिनांक 02.02.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 137 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल, 2020 - जून, 2020 की अवधि के दौरान देश में वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का राज्य-वार विवरण

वर्ष 2020-21 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति				
राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा			
	अप्रैल, 2020 - जून, 2020			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	352	352	0	0.0
दिल्ली	7,303	7,302	1	0.0
हरियाणा	11,570	11,570	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	1,929	1,925	5	0.3
जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	4,753	3,844	908	19.1
पंजाब	12,995	12,995	0	0.0
राजस्थान	18,762	18,742	20	0.1
उत्तर प्रदेश	30,411	30,123	288	0.9
उत्तराखंड	2,901	2,901	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	90,977	89,754	1,222	1.3
छत्तीसगढ़	6,770	6,770	0	0.0
गुजरात	25,270	25,270	0	0.0
मध्य प्रदेश	16,869	16,869	0	0.0
महाराष्ट्र	35,250	35,250	0	0.0
दमन व दीव	353	353	0	0.0
दादरा नागर हवेली	680	680	0	0.0
गोवा	968	968	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	86,160	86,160	0	0.0
आंध्र प्रदेश	15,469	15,469	0	0.0
तेलंगाना	14,146	14,146	0	0.0
कर्नाटक	17,658	17,658	0	0.0
केरल	6,157	6,155	2	0.0
तमिलनाडु	24,892	24,892	0	0.0
पुडुचेरी	615	615	0	0.0
लक्षद्वीप#	15	15	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	78,937	78,935	2	0.0
बिहार	8,069	8,054	15	0.2
डीवीसी	4,034	4,034	0	0.0
झारखंड	2,227	2,176	50	2.3
ओडिशा	6,935	6,935	0	0.0
पश्चिम बंगाल	12,036	11,960	76	0.6
सिक्किम	124	124	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	87	81	6	7
पूर्वी क्षेत्र	33,426	33,285	141	0.4
अरुणाचल प्रदेश	135	133	2	1.3
असम	2,268	2,138	131	5.8
मणिपुर	208	206	2	0.9
मेघालय	419	412	7	1.7
मिजोरम	154	153	2	1.1
नागालैंड	192	190	1	0.7
त्रिपुरा	361	359	2	0.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	3,738	3,592	147	3.9
अखिल भारत	293,238	291,725	1,513	0.5

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति, क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है।

* बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर

टिप्पणी: राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है।

राज्य सभा में दिनांक 02.02.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 137 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल, 2020 - दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान देश में वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का राज्य-वार विवरण

वर्ष 2020-21 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अंतिम)					
राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				
	अप्रैल, 2020 - दिसंबर, 2020				
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		
(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	
चंडीगढ़	1,195	1,195	0		0.0
दिल्ली	23,387	23,384	3		0.0
हरियाणा	41,499	41,473	26		0.1
हिमाचल प्रदेश	7,303	7,263	40		0.5
जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	14,112	12,515	1,597		11.3
पंजाब	46,901	46,853	49		0.1
राजस्थान	62,849	62,804	45		0.1
उत्तर प्रदेश	97,011	96,254	757		0.8
उत्तराखंड	10,285	10,285	1		0.0
उत्तरी क्षेत्र	304,543	302,025	2,517		0.8
छत्तीसगढ़	22,186	22,186	0		0.0
गुजरात	81,152	81,152	0		0.0
मध्य प्रदेश	60,062	60,062	0		0.0
महाराष्ट्र	108,148	108,132	16		0.0
दमन व दीव	1,562	1,562	0		0.0
दादरा नागर हवेली	3,749	3,749	0		0.0
गोवा	2,910	2,910	0		0.0
पश्चिमी क्षेत्र	279,770	279,754	16		0.0
आंध्र प्रदेश	44,914	44,912	3		0.0
तेलंगाना	45,028	45,025	3		0.0
कर्नाटक	48,177	48,174	3		0.0
केरल	18,301	18,296	4		0.0
तमिलनाडु	74,934	74,930	4		0.0
पुडुचेरी	1,962	1,962	0		0.0
लक्षद्वीप#	41	41	0		0
दक्षिणी क्षेत्र	233,316	233,300	16		0.0
बिहार	26,043	25,939	104		0.4
डीवीसी	15,447	15,447	0		0.0
झारखंड	7,256	7,158	99		1.4
ओडिशा	22,138	22,138	0		0.0
पश्चिम बंगाल	38,873	38,781	92		0.2
सिक्किम	387	387	0		0.0
अंडमान-निकोबार#	260	242	17		7
पूर्वी क्षेत्र	110,145	109,850	295		0.3
अरुणाचल प्रदेश	509	506	4		0.7
असम	7,920	7,613	307		3.9
मणिपुर	699	695	4		0.6
मेघालय	1,458	1,450	8		0.5
मिजोरम	535	531	3		0.7
नागालैंड	638	635	3		0.5
त्रिपुरा	1,162	1,159	3		0.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	12,921	12,589	332		2.6
अखिल भारत	940,694	937,518	3,176		0.3

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है।

* बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर

टिप्पणी: राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-138

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

आवश्यक संस्थापनाओं को बिजली की निर्बाध आपूर्ति

138. श्री के. पी. मुन्नस्वामी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने अस्पताल, महत्वपूर्ण संस्थापनाओं और पुलिस संस्थापनाओं इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं को बिजली की निर्बाध आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड और निजी डिस्कॉम को अधिकार प्रदान किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) तमिलनाडु को उसकी बिजली की अत्यधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) गत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को अथवा प्रभावित होने की संभावना वाले लाइसेंसधारियों और व्यक्तियों के परामर्श से लाइसेंसधारियों के वर्ग अथवा लाइसेंसधारियों के निष्पादन के मानकों (एसओपी) को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर, 2020 को अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ताओं को अधिकार) विनियम, 2020 में प्रावधान किया गया है कि वितरण लाइसेंसधारी कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं को 24x7 बिजली की आपूर्ति करेगा।

(ग) : जैसा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा सूचित किया है, पूरे तमिलनाडु राज्य में 24x7 विद्युत आपूर्ति बनाए रखी जाती है। तमिलनाडु की कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 31,906 मेगावाट है जो उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के शुरू होने पर, वर्ष 2021-22 में 800 मेगावाट, वर्ष 2022-23 में 2640 मेगावाट और वर्ष 2023-24 में 2760 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता ग्रिड में जोड़ दी जाएगी। यह भवि तमिलनाडु राज्य की भावी विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

(घ) : जैसा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा सूचित किया गया है, निष्पादनाधीन विद्युत परियोजनाओं की लागत पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी)/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) जैसे वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करके पूरी की जाती है। ऐसी परियोजनाओं की लागत का विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 02.02.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 138 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तमिलनाडु राज्य में निष्पादनाधीन विद्युत परियोजनाओं की लागत

क्रम सं.	परियोजनाओं के नाम	लागत (करोड़ रुपये में)
1.	नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर प्रोजेक्ट - चरण - III (1 x 800 मेगावाट)	6,376
2.	एन्नोर एसईजेड थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2 x 660 मेगावाट)	9,800
3.	अपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2 x 800 मेगावाट)	12,778
4.	उडनगुडी थर्मल पावर प्रोजेक्ट - चरण - I (2 x 660 मेगावाट)	13,077
5.	ईटीपीएस एक्सपेंशन थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1 x 660 मेगावाट)	6,381
6.	कुंडहा पम्पड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 x 125 मेगावाट)	1,831
